आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana

Samarth Vriddh SEWA Ashram Scheme, 2024

समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना, 2024 हरियाणा में 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम उपलब्ध कराती है। ये आश्रम विभाग या मान्यता प्राप्त एनजीओ, ट्रस्ट और सोसायटियाँ चलाती हैं।

क्या मिल सकता है

पंजीकृत वृद्धाश्रम में सुरक्षित रहने की जगह, भोजन, चिकित्सा और नर्सिंग सहायता, मनोरंजन और बिना प्रवेश शुल्क के स्थान। हर निवासी के बैंक खाते में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के रूप में हर महीने 1,000 रुपये भी जाते हैं, और यह दर बदली जा सकती है। निवासियों का आयुष्मान भारत में पंजीकरण होता है और उन्हें राष्ट्रीय वयोश्री योजना से व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और चश्मे जैसे उपकरण मिल सकते हैं।

किसके लिए है

60 साल या उससे अधिक उम्र के किसी भी धर्म या जाति के वरिष्ठ नागरिक, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और उसके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी हो।
- सीटें कम होने पर 80 साल से अधिक उम्र वालों, 1.8 लाख रुपये तक सालाना पारिवारिक आय वाले गरीब वरिष्ठ नागरिकों और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है।
- जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय सालाना 2 लाख रुपये से अधिक है पर परिवार ने उनकी देखभाल छोड़ दी है, वे पे एंड स्टे के आधार पर रह सकते हैं और केवल भोजन का खर्च देते हैं।
- अदालतों, पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भेजे गए वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

दस्तावेज़

- वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी

आवेदन कैसे करें

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा के योजना पृष्ठ से प्रवेश का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
2. फॉर्म भरकर अपनी पीपीपी आईडी के साथ उस संस्था को दें जो वृद्धाश्रम चलाती है। आवेदन के साथ कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता।
3. चयन प्राथमिकता के नियमों के अनुसार होता है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आश्रमों में जिले के अतिरिक्त उपायुक्त प्रवेश का आदेश देते हैं और किसी भी विवाद पर फैसला करते हैं।
4. रात या असामान्य समय पर आपात स्थिति में एसडीएम या जिला समाज कल्याण अधिकारी सरकारी आश्रम में थोड़े समय के ठहराव का आदेश दे सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialjusticehry.gov.in/samarth-vriddh-sewa-ashram-scheme-2024/
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392bbd31f8e0e43a7da8a6295b251725f/uploads/2024/02/20240221915052183.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/haryana/hr-samarth-vriddh-sewa-ashram/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।